

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- संस्था/चि0अ0/ए0टी/प02/14/SP -11

दिनांक:- 09/10/14

:- आदेश :-

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-8 दिनांक 07/10/14 के क्रम सं0 23 पर डा0 विजय मीणा के स्थानांतरण आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए डा0 विजय मीणा चि0अ0 पीएमआर जिला चिकित्सालय भीलवाडा से सीएचसी मालपुरा, टोंक के स्थान पर डा0 विजय कुमार मीणा चि0अ0 पीएमआर आदेशों की प्रतीक्षा से जिला चिकित्सालय भीलवाडा पदस्थापनधीन से सीएचसी मालपुरा, टोंक किया जाता है, पढा जावे।

इस निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक एसपी-8 दिनांक 07/10/14 के क्रम सं0 115 पर डा0 राज कुमार मीणा चि0अ0 का एस0एम0एस0 जयपुर से पीएचसी माधोराजपुरा, जयपुर किया गया स्थानांतरण एतद द्वारा तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

डा0 दिनेश परमार क0वि0 मेडिसिन जो जिला चिकित्सालय बाडमेर में क0वि0 मनोरोग के पदविरुद्ध पदस्थापित है का समायोजन जिला चिकित्सालय बाडमेर में कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन के रिक्त पद पर तुरंत प्रभाव से किया जाता है।

डा0 मोहम्मद शोयब चि0अ0 सीएचसी कूकनवाली, नागौर जो पीएचसी कुम्हारी, नागौर में कार्यव्यवस्था के तहत कार्यरत है का समायोजन पीएचसी कुम्हारी, नागौर में रिक्त पद पर तुरंत प्रभाव से किया जाता है।

डा0 अनिल पुरोहित चि0अ0 दन्त जिला चिकित्सालय नागौर का समायोजन जिला चिकित्सालय नागौर में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी दन्त के पद पर तुरंत प्रभाव से किया जाता है।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (गुप-2), राजस्थान जयपुर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रण अधिकारी/अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज संबंधित।
5. निदेशक (ईएसआई) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
6. निजि सहायक, निदेशक(जन स्वास्थ्य) निदेशालय मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन संबंधित।
8. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी संबंधित।
9. संबंधित चिकित्सक अपनी उपस्थिति संबंधित प्रधानाचार्य/नियन्त्रण अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को देवे।
10. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
11. संबंधित चिकित्सक।
12. आदेश/निजि पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर